

निर्णय सहजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील कोटा राजस्थान।

2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील कोटा राजस्थान। 21.09.2021

उपदान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2. सुरिता गोराल पुत्री शिवनारायण पति अमरप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द मार्ग की गली अश्व तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।

3. शिराहासन पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2. श्रीमती वनेश्वरी देवी पुत्री शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

4. श्रीमती सिंधु देवी पुत्री शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

3. सुरिता गोराल पुत्री शिवनारायण पति अमरप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

5. श्रीमती शिराहासन पुत्री शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

4. श्रीमती सुरिता गोराल पुत्री शिवनारायण पति अमरप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

उपस्थित राजस्थान सरकार जाति तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। - अप्रार्थीगण

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थीगण) दिनांक

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण) दिनांक 01.10.2021

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण)

निर्णय सहजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

जिला कोटा





नहीं सुनी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से क

असमर्थता जताई तहसील में चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1

इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में दावा प्रस्तु

एक नहीं सुनी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से कहने पर प्रतिवादी नं. 2 ता 4 ने भी

असमर्थता जताई तहसील में चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1 ता 4 तहसील में उपस्थित नहीं हुए

इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से वादीगण

द्वारा वाद पेश किया गया है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल

ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा

नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं.

256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की

0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है.

आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा.

प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा

साथ ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 ता 2 व प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में दर्ज किये जाने की कृपा

करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द-बुर्द कर दे तो पुनः

वादीगण को हिस्से आराजी का रिक्त कब्जा दिलाया जावे।

कारण उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की

तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत

कर इकबाली जावाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के

कारण प्रतिवादी सं. 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके पश्चात

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत

किया। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की

गई। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा

की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाने पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के अनुसार वाद

स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली को गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध

दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जामबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे इत्यादि का

अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं.

146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है.,

खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा

नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल

6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3

आराजद कटिबः

संसा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता  
। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने  
की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन  
करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्दादाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 113/2021

तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

-प्राथीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. सरिता गोयल पुत्री शिवनारायण पति ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द मार्ग की गली अस्पताल रोड बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।
3. सरोज जैन पुत्री शिवनारायण पति अरविन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नं 392 फर्स्ट फ्लोर प्रोफेसर कोलोनी नायापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. सीमा सिंघल पुत्री शिवनारायण पति पूनमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नई आबादी पुराने बस स्टैंड के पास डम तहसील डम जिला झालावाड राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

अप्राथीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्राथीगण)

दिनांक 01.10.2021

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्राथीगण)

5

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि—

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं. 309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद